समलैंगिक विवाह

सन्दर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में LGBTQIA+ समुदाय को विवाह समानता का अधिकार देने से मना कर दिया है।

- इस संबंध में गठित पीठ के सभी पांच न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि संविधान के तहत **शादी करने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं** है।
- पीठ के चार न्यायाधीशों ने समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए नागरिक संघों की वकालत करते हुए बहुमत की राय बनाई।
- नागरिक संघ, जिसे नागरिक भागीदारी भी कहा जाता है, विवाह के समान एक कानूनी रूप से स्वीकृत व्यवस्था है, जिसे मुख्य रूप से समान-लिंग वाले जोड़ों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
- नागरिक संघ आमतौर पर वैवाहिक अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद मौजूद हैं, जैसे कि बच्चे को गोद लेना आदि।
- इस प्रकार नागरिक संघ विशिष्ट अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन विवाह के समान कानूनी मान्यता का अभाव है।
- एक अल्पसंख्यक दृष्टिकोण के अनुसार समान-लिंग वाले जोड़ों को विषमलैंगिक जोड़ों के समान अधिकार होने चाहिए।
- गैर-विषमलैंगिक जोड़ों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट समिति का प्रस्ताव रखा गया था।
- इसके अलावा अल्पसंख्यक राय ने समान लिंग या अविवाहित जोड़ों द्वारा संयुक्त रूप से गोद लेने पर रोक लगाने वाले CARA दिशानिर्देशों को अमान्य कर दिया।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

- CARA भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक **वैधानिक निकाय** है।
- यह 2003 में भारत द्वारा अनुसमर्थित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन के अनुरूप अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- CARA का मुख्य कार्य अपनी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने की सुविधा प्रदान करना है।
- भारत में, बच्चों को हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956, संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत परिवारों के साथ रखा जा सकता है।

भारत में LGBTQIA+ से संबंधित मामले

- **NALSA बनाम भारत संघ**: (ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिंग का निर्धारण करने और उनकी लिंग पहचान की कानूनी मान्यता प्राप्त करने के अधिकारों को बरकरार रखा।
- **केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ**: (निजता का अधिकार) एलजीबीटी अधिकारों सहित पिछले निर्णयों को बदलते हुए सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।
- **शफीन जहां बनाम भारत संघ**: (साथी चुनने का अधिकार) स्वतंत्रता और गरिमा के पहलू के रूप में अपने साथी को चुनने के अधिकार पर जोर देते हुए, इस्लाम में परिवर्तित होकर अपनी पसंद से शादी करने वाली महिला की शादी को निरस्त करने वाले फैसले को बदलना।
- **शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ**: (ऑनर किलिंग की रोकथाम) जीवन साथी चुनने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए, ऑनर किलिंग को रोकने और बिना मंजूरी के शादी करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए।
- **भारत संघ में नवतेज जौहर**: (समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना) आईपीसी की धारा 377 को यह दावा करते हुए कि, एलजीबीटीक्यू व्यक्ति समान नागरिक हैं और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है; इस हद तक समाप्त कर दिया कि इसने समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया।
- **दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण**: "असामान्य" परिवारों की मान्यता - समलैंगिक विवाह सहित "असामान्य" परिवारों के अस्तित्व और अधिकारों को स्वीकार करते हुए, अपने पहले जैविक बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से वंचित एक महिला के पक्ष में निर्णय लिया गया।

वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन

सन्दर्भ: विगत 17 अक्टूबर को आयोजित एक आभासी समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 (जीएमआईएस) के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया।

- यह समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एक कार्यक्रम है, जो उद्योग जगत के प्रमुख लोगों को एक साथ लाता है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य अवसरों का पता लगाना, चुनौतियों का समाधान करना और भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- पिछले आयोजनों की सफलता पर आधारित शिखर सम्मेलन का यह तीसरा संस्करण था ।
- यह सम्मेलन समुद्री उद्योग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों और निवेशकों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इस वैश्विक भागीदारी में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया (मध्य एशिया, मध्य पूर्व सहित) और बिम्सटेक क्षेत्र सहित विभिन्न देशों के मंत्री शामिल हैं।
- इस आयोजन में वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया था।
- इसके अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था।

'अमृत काल विज़न 2047' और परियोजनाएँ:

- भारत की नीली अर्थव्यवस्था सम्बंधित योजनाओं को रेखांकित करते हुए 'अमृत काल विजन 2047' का अनावरण किया गया है। साथ ही इस दृष्टिकोण से जुड़ी कुल 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को भी आरम्भ किया गया है।
- वैश्विक व्यापार में भारत की समुद्री क्षमताओं के महत्व पर जोर दिया गया और सम्बंधित क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह शिखर सम्मेलन बंदरगाह विकास, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के समुद्री उद्योग में निवेश आकर्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- अन्य बातों के अलावा यह शिखर सम्मलेन वैश्विक निवेशकों को भारत के समग्र विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि देश का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।

इस संस्करण में चर्चा के विषय:

- **भविष्य के बंदरगाह**: समुद्री उद्योग में बंदरगाहों के विकास और भविष्य की संभावनाओं को उजागर करना।
- **डीकार्बोनाइजेशन**: समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थायी दृष्टिकोण और रणनीति की जांच करना।
- **तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन**: कुशल तटीय और अंतर्देशीय जल परिवहन के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना।
- **जहाज निर्माण**: जहाज निर्माण में भारत की स्थिति और अगले दशक में अग्रणी जहाज निर्माण राष्ट्र बनने की उसकी महत्वाकांक्षाओं की जांच करना।

समुद्री बादल का चमकना

सन्दर्भ: हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ताओं ने समुद्री बादलों के चमकने (Marine Cloud Brightening) पर बादलों की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने और उन्हें मापने के लिए एक तकनीक विकसित की है।

- **अवधारणा**:
  - समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग, बादलों को चमकाने की प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट समुद्री क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी को कम करने की एक तकनीक है, जिससे वे सूर्य के प्रकाश को अधिक प्रतिबिंबित करते हैं और गर्मी अवशोषण कम हो जाता है।
  - समुद्री क्लाउड ब्राइटनिंग को समुद्री क्लाउड सीडिंग और समुद्री क्लाउड इंजीनियरिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सौर विकिरण प्रबंधन जलवायु इंजीनियरिंग तकनीक है जो मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग को ऑफसेट करने के लिए सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करके बादलों को चमक प्रदान करेगी।
- **कार्यान्वयन**: इस कार्यप्रणाली में समुद्री जल को आकाश में स्प्रे करने के लिए पानी की बौछारों का उपयोग किया जाता है, जिससे चमकीले, सफेद बादल (विशेष रूप से समुद्री बादल) सूर्य के प्रकाश को समुद्र की सतह से दूर परावर्तित करते हैं।
- **लक्ष्य**: विशेष रूप से ग्रेट बैरियर रीफ जैसे क्षेत्रों में समुद्री जीवन को कोरल ब्लीचिंग जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए तकनीक की खोज की जा रही है।
- **अनुसंधान कार्यक्रम**: ऑस्ट्रेलिया में रीफ रेस्टोरेशन एंड एडाप्टेशन प्रोग्राम कोरल ब्लीचिंग को कम करने के लिए क्लाउड ब्राइटनिंग की क्षमता पर शोध कर रहा है और सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहा है।
- **वैज्ञानिक उत्पत्ति**: क्लाउड ब्राइटनिंग की अवधारणा वर्ष 1990 में ब्रिटिश क्लाउड भौतिक विज्ञानी जॉन लैथम द्वारा पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीके के रूप में प्रस्तावित की गई थी।
- **क्षेत्रीय अनुप्रयोग**: वैज्ञानिक समुद्री हीटवेव के दौरान प्रवाल विरंजन को कम करने के लिए, विशेष रूप से ग्रेट बैरियर रीफ पर क्लाउड ब्राइटनिंग के वैश्विक अनुप्रयोगों के बजाय क्षेत्रीय अनुप्रयोग पर विचार कर रहे हैं।
- **लाभ**: कई अध्ययनों से पता चला है कि बादल चमकने से प्रवाल विरंजन में कमी आ सकती है और यह अन्य रीफ (Reef) हस्तक्षेपों का पूरक हो सकता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव**: क्लाउड ब्राइटनिंग को अल्पकालिक और प्रतिवर्ती करक के रूप में देखा जाता है और इस प्रौद्योगिकी को किसी भी समय लगातार संचालित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इस प्रकार वायुमंडल में प्रक्षेपित समुद्री नमक के कण आमतौर पर केवल कुछ दिनों तक ही बने रहते हैं।
- **बादल चमकाने की प्रक्रिया**: इस तकनीक में समुद्री जल की सूक्ष्म बूंदों को हवा में छिड़कना, समुद्र में हवा और लहरों के माध्यम से समुद्री नमक एरोसोल के निर्माण का अनुकरण करना जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। ये एरोसोल अतिरिक्त बादल की बूंदें बनाती हैं, जिससे चमकीले बादल का निर्माण होता है।
- **वर्तमान प्रथाएँ**: मानवीय गतिविधियों से अनजाने में होने वाला एरोसोल उत्सर्जन, जैसे जहाज से निकलने वाला धुआं, पहले से ही बादल की चमक को प्रभावित करता है।
- **जलवायु प्रभाव**: जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार, मानवीय गतिविधियों से वर्तमान अनजाने एयरोसोल रिलीज, जैसे जहाज उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के एक हिस्से को ऑफसेट करता है।
- **समुद्री बादल चमकाने की क्षमता**: इस शोध का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या ग्रेट बैरियर रीफ जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से क्लाउड ब्राइटनिंग का उपयोग किया जा सकता है?

आचार समिति (Ethics Committee)

सन्दर्भ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को सदन की आचार समिति के पास भेजने का निर्देश दिया है।

- **आचार समितियों का जन्म**
  - भारत में संसद के दोनों सदनों के लिए आचार समितियों का विचार पहली बार 1996 में दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
- **राज्यसभा की आचार समिति**
  - उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के आर नारायणन ने 4 मार्च, 1997 को उच्च सदन की आचार समिति का गठन किया। इसके दो महीने बाद मई में ही इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया।
  - यह समिति राज्यसभा सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करने और इसके पास भेजे गए कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।
- **लोकसभा की आचार समिति**
  - लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के एक अध्ययन समूह ने विधायकों के आचरण और नैतिकता से संबंधित प्रथाओं की जांच के लिए 1997 में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का दौरा किया था।
  - इसने एक आचार समिति के गठन के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया, जिसे 12वीं लोकसभा में पेश किया गया। हालाँकि, इस रिपोर्ट पर विचार होने से पहले ही लोकसभा भंग कर दी गई थी।

- यद्यपि विशेषाधिकार समिति ने अंततः 13वीं लोकसभा के दौरान एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की।
- दिवंगत अध्यक्ष जी एम सी बालयोगी ने वर्ष 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया और यह 2015 में लोकसभा का स्थायी हिस्सा बन गई।

➢ **शिकायत तंत्र**

- कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य के खिलाफ, किसी अन्य संसद सदस्य के माध्यम से कदाचार के सबूत और शिकायत की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाले एक हलफनामे के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है।
- सांसद बिना किसी हलफनामे के सबूत के साथ अन्य सदस्यों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- आचार समिति मीडिया रिपोर्टों या विचाराधीन मामलों के आधार पर शिकायतों पर विचार नहीं करती है।
- अध्यक्ष किसी सांसद के खिलाफ किसी भी शिकायत को समिति को भेज सकता है, जो शिकायत की जांच करने का निर्णय लेने से पहले प्रथम दृष्टया जांच करती है। सम्बंधित शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

➢ **सदन में विचार**

- समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है, जो सदन से इस बात की राय मांगता है कि क्या रिपोर्ट पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए?
- सदन में रिपोर्ट पर आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है।

➢ **विशेषाधिकार समिति से अंतर**

- आचार समिति और विशेषाधिकार समिति का काम अक्सर ओवरलैप होता रहता है, खासकर सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के मामलों में।
- दोनों समितियाँ विशेषाधिकार के गंभीर उल्लंघन और सदन की अवमानना से निपटती हैं। जबकि विशेषाधिकार समिति "संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा" की रक्षा करती है, आचार समिति कदाचार के लिए केवल सांसदों की ही जांच करती है।

आयरन बीम

सन्दर्भ: हाल के जारी एक ऑनलाइन वीडियो में इज़राइल को अपने नव विकसित लेजर-आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसका नाम आयरन बीम है, का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है।

➢ इजरायली रक्षा निर्माता राफेल, इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) और अमेरिका के सहयोग से, लगभग दो दशकों से उच्च ऊर्जा लेजर (एचईएल) हथियार विकसित कर रहा है।
➢ इस विकास का परिणाम "मैजेन ऑर" (आयरन बीम) एंटी-मिसाइल सिस्टम है, जिसे पहले वर्ष 2025 में लांच करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मिसाइल हमलों के खिलाफ रक्षा के लिए इसका अभी तेजी से प्रयोग किया जा रहा है।
➢ इसके अतिरिक्त यूक्रेन ने इजराइल से आयरन बीम और एक अन्य एंटी मिसाइल सिस्टम की मांग की है।
➢ व्यापक अनुसंधान और विकास ने इस सन्दर्भ में लेजर की शक्ति, सीमा और सटीकता सहित इसकी परिचालन दूरी के साथ-साथ लक्ष्य का पता लगाने, अधिग्रहण और स्वतंत्र बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है।
➢ वर्ष 2022 में ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों सहित विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ सफल लाइव-फायर परीक्षण किए जा चुके हैं।
➢ उल्लेखनीय है कि आयरन बीम का आधिकारिक तौर पर अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (आईडीईएक्स 23) में अनावरण किया गया था।
➢ राफेल ने अमेरिका और इज़राइल में आयरन बीम और अन्य एचईएल हथियार सिस्टम (एचईएलडब्ल्यूएस) के संयुक्त रूप से विकास, परीक्षण और निर्माण के लिए दिसंबर 2022 में लॉकहीड मार्टिन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
➢ आयरन बीम एक केंद्रित लेजर बीम उत्पन्न करने के लिए फाइबर लेजर का उपयोग करता है, जो 7 से 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।
➢ यह लक्ष्य को प्रभावी ढंग से भेदने के लिए, एकीकृत निगरानी प्रणाली और ट्रैक किए गए वाहन प्लेटफार्मों के साथ पारंपरिक एंटी-मिसाइल एवं वायु-रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर काम करता है।
➢ आयरन बीम लागत प्रभावी है, इसकी "प्रति शॉट लागत" कम है, जिसका अनुमान लगभग $3 से $4 प्रति विस्फोट है।

लाभ:

➢ यह निरंतर ऊर्जा आपूर्ति (गोला-बारूद की कमी) के बिना निरंतर रक्षात्मक क्षमताओं को सुनिश्चित करती है।
➢ पारंपरिक गोला-बारूद के उन्मूलन से व्यापक स्तर पर लागत की बचत होती है।

हानि:

➢ सीमित दृश्यता परिदृश्यों, जैसे बादल से भरे आकाश या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
➢ वायुमंडलीय नमी के कारण लेजर की ऊर्जा को अवशोषित करने से नम एवं आर्द्र स्थितियों में यह उतना प्रभावी नहीं होता है।
➢ सिस्टम और लक्ष्य के बीच एक सीधी प्रक्षेप रेखा पर निर्भर होना तथा आग की धीमी दर लक्ष्य को नष्ट करने में अधिक समय लेती है जबकि, पर्याप्त ऊर्जा संचारित करने के लिए लगभग पाँच सेकंड की ही आवश्यकता होती है।
➢ लक्ष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संचारित करने के लिए लगभग पाँच सेकंड की आवश्यकता होती है।
➢ यद्यपि उच्च ऊर्जा लेजर (एचईएल) प्रणालियों को अपनाना वैश्विक स्तर पर प्रभावी है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित विभिन्न देश भूमि और समुद्री तैनाती के लिए वायु रक्षा एचईएल प्रणालियों की खोज और क्षेत्र-परीक्षण कर रहे हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

18 October, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सेतु बंधन योजना

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ) के तहत अरुणाचल प्रदेश में सात पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है।

सेतु बंधन योजना के बारे में:

- सेतु बंधन योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य की सीमाओं के पास के ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ अंतर-राज्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
- यह योजना विभिन्न राज्यों में रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग (एलसी) को रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रेल अंडर ब्रिज (आरयूबी) से बदलने के लिए लागू की गई है।

सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) के बारे में:

- सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) की स्थापना वर्ष 2000 में सेंट्रल रोड फंड एक्ट, 2000 के तहत की गई थी।
- प्रारंभ में इसे केंद्रीय सड़क निधि के नाम से जाना जाता था।
- 2018 में, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में एक संशोधन किया गया जिसने इसके उद्देश्यों का विस्तार किया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भूस्खलन को रोकने के लिए कोच्चि-धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग के गैप रोड पर बांस रोपण के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में शामिल हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में:

- इसका गठन NHAI अधिनियम, 1988 के तहत किया गया था, और यह सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- यह 1998 में शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) का प्रबंधन करता है, जिसका उद्देश्य प्रमुख राजमार्गों को उन्नत करना है।
- यह आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखता है।
- 2019-20 में, NHAI ने 3,979 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा किया।

भारतमाला परियोजना:

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारतमाला परियोजना चरण- I में 27,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की देखरेख करता है।
- यह कार्यक्रम आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों और अन्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से माल और यात्री आवाजाही को अनुकूलित करता है।

लसीका फाइलेरिया

हाल ही में, लाओ पीडीआर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सत्यापित गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वाली बीमारी लिम्फैटिक फाइलेरियासिस को समाप्त कर दिया है।

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के बारे में:

- लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (एलएफ), जिसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, एक परजीवी रोग है।
- यह लसीका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के अंगों में सूजन जैसे लक्षण पैदा होते हैं, जिससे हाइड्रोसील, लिम्फेडेमा और एलिफेंटियासिस जैसी स्थितियां पैदा होती हैं।

कारण: लसीका फाइलेरिया नेमाटोड परजीवियों के कारण होता है, विशेष रूप से वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगिया मलयी और ब्रुगिया टिमोरी।

संचरण: यह रोग मुख्य रूप से मच्छरों की कुछ प्रजातियों द्वारा फैलता है जो फाइलेरिया कृमियों के संक्रामक लार्वा को ले जाते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करना समलैंगिक समुदाय के लिए चुनौती उत्पन्न करता है।

विशेष विवाह अधिनियम के बारे में:

- विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954, एक भारतीय कानून है जो विभिन्न धर्मों या जातियों के व्यक्तियों के विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है।
- यह राज्य द्वारा स्वीकृत नागरिक विवाहों को नियंत्रित करता है, जो धार्मिक विवाहों से अलग है।
- यह प्रणाली यूके के विवाह अधिनियम 1949 के समान है।
- यह अधिनियम पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू है।
- यह विवाह पंजीकरण, कानूनी मान्यता प्रदान करने और जोड़े को विरासत, उत्तराधिकार और सामाजिक सुरक्षा अधिकार जैसे लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

समाचारों में स्थान

लेउहान

हाल ही में, एक पुरातत्व छात्र ने लेउहान (**Leuhan**) में प्राचीन कांस्य युग के एक टीले पर खुदाई की।

स्थान: लेउहान, पश्चिमी फ्रांस, पुरातात्विक उत्खनन का स्थल है।

खोजकर्ता: कांस्य युग के इस टीले की खोज सबसे पहले 1900 में फ्रांसीसी पुरातत्वविद् पॉल डु चैटेलियर ने की थी।

प्राचीन मानचित्र: लेउहान स्थल पर, एक नक्काशीदार ग्रेनाइट स्लैब पाया गया, जिसे यूरोप का सबसे पुराना मानचित्र माना जाता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

समाचारों में स्थान

राफा क्रॉसिंग

हाल ही में, यह पाया गया है कि इज़राइल के बाहर से सीधे गाजा में प्रवेश करने के लिए सहायता के लिए राफा क्रॉसिंग एकमात्र मार्ग है और एकमात्र ऐसा निकास है जो इज़राइली क्षेत्र की ओर नहीं जाता है।

राफा क्रॉसिंग के बारे में:

- राफ़ा क्रॉसिंग गाजा पट्टी को मिस्र से जोड़ने वाला प्राथमिक प्रवेश द्वार है।
- यह इज़राइल के बाहर से सीधे गाजा में प्रवेश करने और सहायता प्रदान करने के लिए एकमात्र मार्ग है जो इज़राइली क्षेत्र की ओर नहीं जाता।
- यह गाजा के दक्षिणी भाग में है, जहां 2.3 मिलियन लोग रहते हैं और यह इज़राइल, मिस्र और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।
- राफा क्रॉसिंग के नियंत्रण और संचालन के लिए मिस्र जिम्मेदार है।
- मिस्र ने पूर्वोत्तर सिनाई में 2013 के बाद से असुरक्षा की चिंताओं के कारण पहुंच प्रतिबंधित कर दी है।
- 2007 में जब से हमास ने गाजा पर नियंत्रण किया है, मिस्र ने लोगों और सामानों के प्रवाह को सख्ती से नियंत्रित करते हुए नाकाबंदी लागू कर दी है।

POINTS TO PONDER

- भारत का पहला 'फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स' किस संस्था ने विकसित किया? - **आईआईएम अहमदाबाद**
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने किस शहर में पुनर्निर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? - **विशाखापत्तनम**
- 2023 में 'वार्षिक IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस' की मेजबानी किस देश ने की? - **ऑस्ट्रिया**
- किस संस्था ने 'महिला, शक्ति और कैंसर' रिपोर्ट जारी की? - **लैंसेट आयोग**
- किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? - **उत्तर कोरिया**